Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Service Appeal No.- 06/2017

Binod Kumar ..... Appellant.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	29.08.2023	**आदेश** प्रस्तुत अपील जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक–05–18 /16–56/स्था0 दिनांक–13.01.2017 के विरूद्ध दायर किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। इनका कथन है कि अपीलार्थी दिनांक–18.07.2000 को अनुमंडल पदाधिकारी, धमदाहा, पूर्णिया के कार्यालय में लिपिक के पद पर कार्यरत थे। उस समय इन्हें लिपिक श्री नरेश झा द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के कार्यालय के अभिलेखों को संभालने का प्रभार सौंपा गया था जिन्होंने अभिलेखों का बिना मिलान किये प्रभार सूची पर हस्ताक्षर करवा लिया था जिसमें कुछ अभिलेख अप्राप्त भी थे। इनके अनुरोध पर अभिलेखों को रखने हेतु एक कॉमन रूम तथा न्यायालय कक्ष में रखने का निदेश दिया गया जहाँ अभिलेख यत्र–तत्र रखे जाते थे। कॉमन रूम की चाभी उसी कार्यालय के लिपिक कृष्णदेव टुडू एवं कौशलेन्द्र कुमार को सौंप देना पड़ता था। पूर्व में कुछ अभिलेख अन्य न्यायालयों में माँगे जाने के कारण भेजे गये थे जिसका कोई प्रमाण नहीं था। आम पब्लिक द्वारा दिनांक–21.12.2001 को कुछ अभिलेखों की माँग की गई किन्तु नहीं देने के कारण उनके द्वारा जान मार देने की धमकी दी गई। तब इन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी से लिखित शिकायत भी की थी किन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी बीच वर्ष 2004 से 2006 के बीच कभी प्रखंड कार्यालय, जलालगढ़ तो पुनः अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय, धमदाहा फिर प्रखंड कार्यालय, जलालगढ़ स्थानांतरित किये जाने से ये मानसिक रूप से परेशान एवं अस्वस्थ हो गये। इस स्थानांतरण में इनका प्रभार भी अनुमंडल कार्यालय, धमदाहा में कार्यरत लिपिक कृष्ण कुमार टुडू, विजय कुमार सिंह, कौशलेन्द्र कुमार वगैरह द्वारा आंशिक प्रभार ग्रहण कर अगले दिन बुलाया जाता था। अभिलेख यत्र–तत्र असुरक्षित पड़े रहते थे। इसी क्रम में इन्हें कृष्णदेव टुडू वगैरह से झड़प भी हो गई। फलस्वरूप उनलोगों ने बदला लेने के भाव से इनकी शिकायत अनुमंडल पदाधिकारी को कर दी। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कुल 133 अभिलेख का प्रभार नहीं देने के आरोप में इनसे वर्ष 2006 में स्पष्टीकरण की माँग की गई। जबकि प्रभार लेनेवाले कर्मी कभी भी	

Web Copy Not Official.

		एकबार में प्रभार नहीं लेकर मुझे जलालगढ़ से अगले दिन बुलाया जाता था। इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, क्रमशः	
	लगातार 29.08.2023	सदर, पूर्णिया को संचालन पदाधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, जलालगढ़ को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा सभी आरोपों को प्रमाणित पाते हुए जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जिसके आलोक में जिला पदाधिकारी, पूर्णिया ने इनके विरूद्ध 08 वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करते हुए दंड अधिरोपित किया। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। जिला पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में स्वयं कोई जाँच पड़ताल नहीं की गई। स्थानांतरण पश्चात् जलालगढ़ से आकर इनके द्वारा प्रभार दिये जाने के क्रम में कृष्णदेव टुडू द्वारा आंशिक प्रभार ग्रहण कर अगले दिन आने की बात प्रायः कही जाती रही। अभिलेखों के सुरक्षित रख–रखाव हेतु कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। नरेश चन्द्र झा, लिपिक द्वारा धमदाहा अनुमंडल कार्यालय से विरमित होने के समय पूर्व के शेष बचे अभिलेखों का प्रभार नहीं सौंपा गया था। अपीलार्थी को बिना कोई सूचना दिये छः अभिलेख अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया के समक्ष पत्रांक–444 दिनांक–08.06.2007 को भेजा गया था। श्री टुडू द्वारा पंजी के अभियुक्ति कॉलम में यह दर्ज किया गया कि वर्ष 1990–91 एवं 1991–92 के कुछ अभिलेख पंजी में दर्ज नहीं हैं। इस प्रकार इनकी ओर से निम्न न्यायालय आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के पत्रांक–05–178/2016–72/स्था0 दिनांक–24.01.2018 द्वारा प्रस्तुत मामले में अनुमंडल पदाधिकारी, धमदाहा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किये जाने के आलोक में उनके द्वारा मात्र दिनांक–07.04.2018 को उपस्थिति दी गई है। इस कार्यालय द्वारा उनकी उपस्थिति हेतु कई सूचना निर्गत किये जाने के बावजूद भी वे पुनः कभी उपस्थित नहीं हुए। विपक्षी सं0–02 नरेश चन्द्र झा द्वारा दिनांक–28.12.2018 को लिखित प्रत्युत्तर समर्पित करते हुए अपीलार्थी द्वारा इनके विरूद्ध उल्लिखित आरोपों का खंडन करते हुए अपने दोषों से इंकार किया है। अपीलार्थी को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में कुल चार आरोप प्रतिवेदित है, जिसके आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा विधिवत् विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अपीलार्थी से द्वितीय कारण–पृच्छा की माँग की गई है। जिसमें अपीलार्थी द्वारा संबंधित सभी	

Web Copy. Not Official.

		अभिलेखों का प्रभार उनके द्वारा श्री कृष्णदेव टुडू, लिपिक को सौंपे जाने की बात कही गई है किन्तु इस संबंध में उनके द्वारा कोई साक्ष्य या तथ्यात्मक पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरांत अपीलार्थी के विरूद्ध दंड अधिरोपित किया गया है, जो विधिसम्मत् क्रमशः है।	
	लगातार 29.08.2023	अतः उपरोक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक–56/स्था0 दिनांक–13.01.2017 को विधिसम्मत् एवं न्यायोचित पाते हुए इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। प्रस्तुत अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति जिला पदाधिकारी, पूर्णिया को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.